



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)  
Sugandha Bhavan  
N.H.By-pass  
P.B.No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Kochi - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगन्ध भवन  
एन.एच.बाईपास  
पी.बी.नं. 2277  
पालारिवट्टम पी.ओ.  
कोच्ची - 682 025, भारत

25<sup>th</sup> June 2026

### Trade Advisory: 04/2026-27

Sub : Advisory on Proposed Maximum Levels (MLs) for Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons (MOAH) in Spices and Spice Products Exported to the European Union - reg.

The European Commission, through draft proposal SANTE PLAN 2023/2345, has proposed an amendment to Regulation (EU) 2023/915 to establish maximum levels (MLs) for Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons (MOAH) in food, including spices intended for use as food ingredients. The proposal is expected to come into force with effect from 1<sup>st</sup> January 2027. The ML proposed in the draft proposal is as follows:

Category	Proposed ML for MOAH
Spices used as food ingredients	10.0 mg/kg from 1 January 2027
Spices used as food ingredients	5.0 mg/kg from 1 January 2030

This is brought to the attention of exporters of spices & spice products to EU member states, for their information and necessary action. A copy of the draft regulation is enclosed herewith for reference.

The exporters of spices & spice products are advised to take appropriate preventive measures throughout the supply chain to ensure compliance with the proposed maximum levels prescribed by the EU for MOAH.

In view of the above, and to facilitate compliance with the proposed requirement, Spices Board has prepared "Guidelines for Prevention and Mitigation of MOSH/MOAH, which is available at

[https://indianspices.com/indianspices/sites/default/files/Guidelines%20on%20Mineral%20oil%20Contamin\(BL\)%2015052026.pdf](https://indianspices.com/indianspices/sites/default/files/Guidelines%20on%20Mineral%20oil%20Contamin(BL)%2015052026.pdf)

Exporters are also advised to exercise due diligence while exporting spices and spice products to European Union (EU) Member States and to ensure that consignments exported to EU comply with the applicable standards and



regulatory requirements, including the proposed maximum levels (MLs) for MOAH.

This advisory is issued under the provisions of the Spices Board Act,1986 and the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations,1989



Director (Mktg)

To  
All Exporters of Spices a Spice Products  
All Exporters Association

//issued from File No. MKTG/CIRC/SH/5/2021-22-Part(1)Computer No 24536//



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)  
Sugandha Bhavan  
N.H.By-pass  
P.B.No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Kochi - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगन्ध भवन  
एन.एच.बाईपास  
पी.बी.नं. 2277  
पालारिवट्टम पी.ओ.  
कोच्ची - 682 025, भारत  
25 जून 2026

### व्यापार परामर्श: 04/2026-27

**विषय : यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले मसालों और मसाला उत्पादों में खनिज तेल सुगंधित हाइड्रोकार्बन (एमओएच) के लिए प्रस्तावित अधिकतम स्तर (एमएलएस) पर परामर्श - बाबत**

यूरोपीय आयोग ने मसौदा प्रस्ताव SANTE PLAN 2023/2345 के माध्यम से, खाद्य पदार्थों में, जिनमें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मसाले भी शामिल हैं, मिनेरल ऑयल एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (MOAH) के लिए अधिकतम स्तर (MLs) स्थापित करने हेतु विनियमन(EU) 2023/915 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव 01 जनवरी 2027 से प्रभावी होने की उम्मीद है। मसौदा प्रस्ताव में प्रस्तावित एमएल इस प्रकार है:

श्रेणी	एमओएच के लिए प्रस्तावित एमएल
खाद्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त मसाले	1 जनवरी 2027 से 10.0 मिलीग्राम/कि.ग्रा
खाद्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त मसाले	1 जनवरी 2030 से 5.0 मिलीग्राम/कि.ग्रा

यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यातकों के जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाया जाता है। संदर्भ के लिए मसौदा विनियमन की एक प्रति संलग्न है।

मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे आपूर्ति श्रृंखला में उचित निवारक उपाय करें ताकि यूरोपीय संघ द्वारा एमओएच के लिए निर्धारित प्रस्तावित अधिकतम स्तरों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और प्रस्तावित आवश्यकता के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने "एमओएसएच/एमओएच की रोकथाम और शमन के लिए दिशानिर्देश" तैयार किए हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

[https://indianspices.com/indianspices/sites/default/files/Guidelines%20on%20Mineral%20oil%20Contamin\(BL\)%2015052026.pdf](https://indianspices.com/indianspices/sites/default/files/Guidelines%20on%20Mineral%20oil%20Contamin(BL)%2015052026.pdf)



स्पाइसेस बोर्ड  
भारत

निर्यातकों को यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों को मसाले और मसाला उत्पाद निर्यात करते समय उचित सावधानी बरतने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ईयू को निर्यात की गई खेप लागू मानकों और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, जिसमें एमओएच के लिए प्रस्तावित अधिकतम स्तर (एमएलएस) भी शामिल हैं।

यह परामर्श स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है।

विशेष निदेशक

निदेशक (विपणन)

सेवा में,

मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातकों  
सभी निर्यातकों का संघ